अनुदान संख्या 83 - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 83–DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	*193*	*–7*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2065,73,00	2065,75,00	1986,01,38	–79,73,62
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,53,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		74,90,00	59,06,40	–15,83,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,62,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5023.00	4660.87	4567.77	–93.10
पु.	R.	–362.13			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3425''	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	201550.00			
पू.	S.	2.00	194661.13	194033.61	–627.52
पु.	R.	–6890.87			

(I) 1000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - अन्य स्कीमें - अनुसंधान और विकास उपकर के अधीन प्राप्तियों के अंतर्गत अदायगी'' के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में संवितरित कर्जों की पुनर्अदायगी से प्रोद्भूत बैंक जमाओं में अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3425" – "Others – Other Schemes – Payment against receipts under Research and Development Cess" – due to availability of unspent balances in bank deposits accrued from repayment of loans disbursed by Technology Development Board in previous years.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग'' के अंतर्गत 458.83 लाख रु. की बचत (5001.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Department of Science and Technology" – saving of Rs.458.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5001.00 lakhs) was due to economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''3425'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3425" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''भारतीय सर्वेक्षण - अन्य व्यय - अन्य स्कीमें'' - 134.23 लाख रु. की बचत (2850.83 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(A) "Survey of India - Other Expenditure – Other Schemes" – saving of Rs.134.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2850.83 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(खा) ''अन्य'' -

(B) "Others" –

(क) ''राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयवस्तुनिष्ठ मानचित्रण संगठन - राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयवस्तुनिष्ठ मानचित्रण संगठन कार्यालय'' - 506.90 लाख रु. की बचत (1935.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में

(a) "National Atlas and Thematic Mapping Organisation (NATMO) - NATMO Office" – saving of Rs.506.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1935.00 lakhs) was due to reduction of

कमी किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता'' -

(i) ''मिशन मोड में प्रौद्योगिकी परियोजनाएं'' - 1000.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''बांस परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी'' के अंतर्गत अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) ''अनुसंधान और विकास सहायता (विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड सहित) - 154.45 लाख रु. की बचत (53700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(iii) ''औषध और भेषज अनुसंधान'' - 302.34 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वैज्ञानिक संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों से कम संख्या में परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त हाने के कारण हुई।

(iv) ''नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' - 6000.00 लाख रु. की बचत (13000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन के लिए कम संख्या में परियोजनाएं उपयुक्त पाए जाने और ईएफसी अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(v) ''जल प्रौद्योगिकी का सूत्रपात'' - 900.01 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्र निर्धारण में विलंब होने के कारण हुई।

(vi) ''मौलिक अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं'' - 2000.65 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एंटी प्रोटोन और आयन अनुसंधान के लिए सुविधा के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

provision at revised estimates stage and economy measures.

(b) "Assistance to Other Scientific Bodies" –

(i) "Technology Projects in Mission Mode" – saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance under "Technology for Bamboo Projects".

(ii) "Research and Development Support (including Science & Engineering Research Board)" – saving of Rs.154.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.53700.00 lakhs); and

(iii) "Drugs and Pharmaceuticals Research" – saving of Rs.302.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of project proposals from Scientific Institutions/Organisations/ Universities.

(iv) "National Mission on Nano Science and Nano Technology" – saving of Rs.6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13000.00 lakhs) was due to less number of projects found fit for funding and delay in EFC approval.

(v) "Water Technology Initiative" – saving of Rs.900.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to delay in field assessments.

(vi) "Mega Facilities for Basic Research" – saving of Rs.2000.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to delay in construction of Facility for Antiproton and Ion Research.

(vii) "उच्चतर शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्ति'' - 1374.35 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम नामांकन होने के कारण हुई।

(ग) "अन्य स्कीमें - सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन'' - 361.31 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एलएएन और ईआरपी प्रणाली के प्रायोगिक चरण में होने के कारण हुई।

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' -

(i) "अन्य कार्यक्रम'' - 100.50 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में कम दावे प्राप्त होने तथा विदेश में विज्ञान परामर्शदाताओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "अन्य देशों के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग'' - 232.83 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से आवक दावे प्राप्त न होने, बिल कम संख्या में प्राप्त होने और समीक्षा बैठकें कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.92 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4812.56 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3425'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2010 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(vii) "Scholarships for Science in Higher Education" – saving of Rs.1374.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to lower enrolment.

(c) "Other Schemes - Implementation of Information Technology" – saving of Rs.361.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to the trial stages of Local Area Network and Enterprise Resource Planning system.

(d) "International Cooperation" –

(i) "Other Programmes" – saving of Rs.100.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims towards Leave Travel Concession and medical reimbursement and requirement of less funds towards science counselors abroad.

(ii) "S&T Cooperation with Other Countries" – saving of Rs.232.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to non-receipt of inward claims from the Ministry of External Affairs, receipt of less number of bills and holding of less number of review meetings.

(IV) Under one head saving of Rs.79.92 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4812.56 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2010 under Major Head "3425" – under the following heads:-

(का) ''भारतीय सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - महासर्वेक्षक'' - 1062.56 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1050.99 लाख रु. था।

(A) "Survey of India - Direction and Administration – Surveyor General" – Rs.1062.56 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1050.99 lakhs.

(खा) ''अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता'' -

(B) "Others – Assistance to Other Scientific Bodies" –

(क) ''वैज्ञानिक स्वायत संस्थाओं/वृत्तिक निकायों को सहायता'' - 1500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1499.55 लाख रु. था।

(a) "Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies" – Rs.1500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1499.55 lakhs.

(ख) ''सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान'' - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 399.01 लाख रु. था।

(b) "Grants-in-aid for Science and Technology Programmes for Socio Economic Development" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.399.01 lakhs.

(ग) ''प्रेरित अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक खोज में नवीकरण'' - 1850.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1849.54 लाख रु. था।

(c) "Innovations in Science Pursuit for inspired Research (INSPIRE)" – Rs.1850.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1849.54 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''भारतीय सर्वेक्षण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3425" – "Survey of India" – under the following heads:-

(का) ''प्रशिक्षण - प्रशिक्षण संगठन'' - 211.17 लाख रु. का अधिक व्यय (993.32 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Training – Training Organizations" – excess of Rs.211.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.993.32 lakhs);

(खा) ''स्थलाकृतिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण दल'' - 1389.97 लाख रु. का अधिक व्यय (12269.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) "Topographical Surveys – Survey Parties" – excess of Rs.1389.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12269.20 lakhs); and

(गा) ''मानचित्रों, चार्टों, रिपोर्टों आदि का प्रकाशन - मानचित्र प्रकाशन कार्यालय'' - 168.59 लाख रु. का अधिक व्यय (4011.69 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(C) "Publication of Maps, Charts Reports etc. - Map Publication Offices" – excess of Rs.168.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4011.69 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds for implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर्ज	Major Head "7425" Loans for Other Scientific Research				
मू.	O.	6600.00	5100.00	5099.98	–0.02
पु.	R.	–1500.00			

(I) 20.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "भेषज अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक निकायों को कर्ज - भेषज उद्योगों को कर्ज और अग्रिम'' के अंतर्गत 1500.02 लाख रु. की बचत (6600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने और भारत के औषध महानियंत्रक से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under "Loans to Scientific Bodies for Pharmaceuticals Research – Loans & Advances to Pharmaceuticals Industries" – saving of Rs.1500.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6600.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals and for want of approval from the Drugs Controller General of India.